राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
77वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 के कार्यवृत

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 77वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 को मुख्य सचिव, उतराखण्ड षासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), प्रमुख सचिव (समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण), सचिव (सहकारिता एवं मत्स्य), सचिव (औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.), सचिव (पर्यटन), सचिव (वित्त एवं निर्वाचन), उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक एवं राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :

1) Universal Access to Financial Services :

Business Correspondent and Capacity Building :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार पांच कि.मी. रेडियस की उचित दूरी के अन्तर्गत गांव में एक औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता हो, ताकि ग्रामवासियों को बैंकिंग सेवायें प्राप्त हो सके। जन–धन दर्षक ऐप में उत्तराखण्ड में कोई भी गांव असंतृप्त नही दिखाया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैक एवं अन्य पेमेंट बैंकों द्वारा भी राज्य में बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही है।

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में 7955 गाम पंचायत तथा 16793 राजस्व ग्राम हैं, जिन्हे बैंकिंग सेवायें प्रदान करने हेतु DFS के पोर्टल GIS for Financial Inclusion – DBT GIS Version 1.0 के अनुसार 2687 बैंक षाखायें, 2592 ए. टी.एम. एवं 5080 बी.सी./बैंक मित्रों द्वारा बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि 2284 इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं अन्य पेमेंट बैंकों द्वारा राज्य में बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही हैं तथा एक बी.सी. औसतन चार–पांच गांवों को बैंकिंग सेवायें प्रदान करते है।

- सचिव (वित्त), उत्तराखंड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि षासन द्वारा राज्य में स्थित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसमें समस्त बैंक अंकित ग्राम पंचायत के सम्मुख बैंक षाखा/बी.सी./बैंक मित्र/पेमेंट बैंक से आच्छादित/अनाच्छादित वर्णित करेंगे, जिससे बैंकिंग सेवा से आनाच्छादित गांवों को सही जानकारी प्राप्त हो सके।

- मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जन–जन तक बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने हेतु और अधिक बी.सी./बैंक मित्रों को नियुक्ति करने की आवष्यकता है।

- बैठक में बी.सी. की नियुक्ति विषयक निम्नलिखित सुझाव दिये गये :

  क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवानिवृत व्यक्तियों को बी.सी. नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया।

  ख) अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), उत्तराखंड षासन द्वारा स्वंय सहायता समूह की महिला सदस्यों को बी.सी. नियुक्त करने का सुझाव दिया गया।

  ग) सचिव (सहकारिता एवं मत्स्य), उत्तराखंड षासन द्वारा भूतपूर्व सैनिको को बी.सी. नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया।

- मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि राज्य के दूर–दराज क्षेत्रों में जन–जन तक बैंकिंग सेवायें मुहैया करायी जाय। बी.सी. की नियुक्ति हेतु स्थानीय युवक/युवतियों को वरीयता दी जाय तथा इस विषयक समय अवधि निर्धारित की जाय। साथ ही निर्देषित किया गया कि आगामी एस.एल.बी.सी. की बैठक में मुख्यतः इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक को Special Invitee के रुप में आमंत्रित किया जाय।

- बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स विषयक चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड महामारी के कारण Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण नही किया जा सका है।

- सचिव (वित्त), उत्तराखंड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के कारण भी Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण नही हो पाया है।

- मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि बी.सी. को सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहन राषि (Incentive amount) दी जाय, तो अभ्यर्थी सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण करने में रुची लेंगे। मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण करायें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

2. <u>Providing Basic Bouquet of Financial Services</u> –

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- पीएमजेजेबीवाई के तहत lien अवधि 45 दिनों से घटाकर अब 30 दिन कर दी गयी है।
- पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई दावों के निपटान हेतु बैंक तथा बीमा कम्पनी के लिए अधिकतम अवधि 30 दिन से घटाकर 7–7 दिन कर दी गयी है।

समाजिक सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित खातों की संख्या बढाये जाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आच्छादित खातों के नवीनीकरण हेतु अप्रैल माह से ही अभियान (campaign)'षुरु किये जाने का सुझाव दिया गया।
- अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि) उत्तराखंड षासन द्वारा स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनरेगा एवं आषा कार्यकर्ताओं को आच्छादित करने का सुझाव दिया गया ।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अधिकतम लोगों को आच्छादित करने हेतु तथा योजना का लाभ जन–जन तक पहुंचाने हेतु जिला स्तर पर संयुक्त कार्यषाला (Joint Workshop) का आयोजन किया जाय।

(कार्यवाही : जिला प्रशासन उत्तराखंड शासन)

3. <u>Aspirational District Programme for Haridwar & Udham Singh Nagar Districts Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP)</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड षासन द्वारा उपरोक्त विषयक चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि हरिद्वार प्रषासन ने उन्हे अवगत कराया है कि कुम्भ मेले के आयोजन के कारण हरिद्वार जिले में मासिक लक्ष्यों के अनुरुप लक्ष्य प्राप्त नही किये जा सके।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि दोनो जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संषोधित लक्ष्य प्रेषित किये जा चुके हैं तथा उन्हे निर्देषित किया गया है कि वे Distric Level Implementation Committee (DLIC) की बैठक में लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य योजना पर चर्चा करें तथा 30 सितम्बर, 2021 तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों को निर्देषित कर, इस विषयक अनुवर्ती कार्यवाही करे।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला पबन्धक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर/जिलों के समस्त बैंक)

4. <u>Access to Livelihood and Skill Development</u> –

उपरोक्त विषयक चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), उत्तराखंड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि वे सरकारी आजीविका कौषल विकास कार्यक्रमों विषयक जानकारी एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करा देंगे, जिसे बैंकों द्वारा प्रिंट कर पात्र धारकों को उपलब्ध कराया जाय।

5. <u>Scaling up of Centre for Financial Literacy (CFL) Project in the State of Uttarakhand</u>

- उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में वित्तीय समावेषन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI: 2019-2024) के Centre for Financial Literacy (CFL) Project के तहत राज्य के समस्त विकास खण्डों में वित्तीय साक्षरता केन्द्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं। प्रारम्भ में राज्य के 16 विकास खण्डों का चयन किया गया है। उक्त योजना के तहत प्रायोजक बैंक SBI (10), PNB (4), एवं BOB (2), द्वारा 16 ब्लाकों में CRISIL Foundation से समन्वय कर Centre for Financial Literacy (CFL) बनाना प्रस्तावित है।
- CFL Project स्थापित करने हेतु RBI एवं CRISIL Foundation (NGO) के मध्य समझोता किया जाना है। तदउपरांत ही संबंधित ब्लाक में Centre for Financial Literacy (CFL) Project स्थापित करने हेतु CRISIL Foundation (NGO) एवं संबंधित प्रायोजक बैंक के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), उत्तराखंड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के विभिन्न ब्लाक में सरकारी भवन, जो खाली पड़े हैं, उन परिसरों का नवीनीकरण (Renovation) कर Centre for Financial Literacy (CFL) के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अतः Centre for Financial Literacy (CFL) के लिए नये भवन बनाने की आवष्यकता नही है।

- मुख्य सचिव, द्वारा निर्देषित किया गया कि राज्य के विभिन्न विकास खण्डों में यदि खाली भवन उपलब्ध न हो तो Centre for Financial Literacy (CFL) Project हेतु भवन किराये पर लेकर काम किया जा सकता है।

(कार्यवाही : भारतीय रिजर्व बैंक)

6. <u>Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा Standardized System (Block wise mapping) संबन्धित कार्य पूर्ण किया जाना अवषेष है तथा इण्डियन बैंक, नैनीताल बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा मार्च, 2021 त्रैमास का डाटा RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप SLBC India Portal पर अपलोड नही किया गया है। इससे एस.एल.बी.सी. द्वारा भारतोय रिजर्व बैंक को डाटा प्रेषित करने में बिलम्ब होता है तथा data quality एवं data integrity पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक उक्त कार्य को अविलम्ब पूर्ण करें तथा समस्त बैंक RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप SLBC India Portal पर डाटा अपलोड करें।

(कार्यवाही : कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक, राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य समस्त बैंक)

7. <u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> :

- वार्षिक ऋण योजना पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा फार्म सेक्टर अंतर्गत वित्तीय वष 2019–20 के सापेक्ष वित्तीय वष 2020–21 में कम प्रगति का कारण जानना चाहा।

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस विषयक सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वष 2020–21 में रु. 2837.00 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा कर दिया गया था तथा वित्तीय वष 2020–21 में कोविड महामारी के कारण बैंकों द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरुप प्रगति दर्ज नही की जा सकी।

- राज्य के स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिबिधियों को संचालित किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तरीय पुर्ननिरीक्षण समिति (DLRC) की बैठक में वित्तीय वष 2021–22 हेतु रु. 26,611.00 करोड़ की अनुमोदित वाषिक ऋण योजना को एस.एल.बी.सी. उत्तराखंड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड से चर्चा/सहमती उपरांत सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सेक्टरवार वाषिक ऋण योजना 2021–22 के लक्ष्यों को अनुमोदित कर दिया गया है।

- अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), उत्तराखंड षासन द्वारा अवगत कराया गया है कि जिन ऋणियों को कृषि क्षेत्र में ऋण दिया गया है और कृषि में वर्गीकरण किया गया है, उसका वर्गीकरण उद्यम आधार लेने के पश्चात कृषि क्षेत्र से एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में किया जाय।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

8. ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वष 2020–21 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 53 प्रतिषत रहा है तथा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं अल्मोड़ा, बागेष्वर एवं चम्पावत का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम रहा है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा One District One Product (ODOP) का सुझाव दिया गया, जिस पर अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), उत्तराखंड षासन द्वारा अवगत कराया गया कि षासन द्वारा राज्य में जिलेवार ODOP निर्देष जारी किये जा चुके है।

इन्डस्ट्रीज एसोषियेषन ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिला पौड़ी में उद्योग स्थापित करने की अधिक संभावना है। अतः क्षेत्र के विकास के लिए एक कमेटी का गठन किया जाय, जिसमें राज्य सरकार के विभाग, प्रमुख बैंक एवं व्यवसायिक क्षेत्र के लोग सदस्य होंगे, जो कि Pilot Project के रुप में कार्य करेंगे।

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड षासन द्वारा बैंकों से कहा गया कि राज्य के पहाड़ी जिलों में कार्यरत बैंक षाखाआ को ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु अथक प्रयास करने होंगे।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा निर्देषित किया गया कि जिन जिलों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है, वे ऋण जमा अनुपात की निगरानी हेतु गठित District Consultative Committee (DCC) की विषेष उप–समिति की बैठक नियमित रुप से आयोजित कर, ऋण जमा अनुपात की समीक्षा करें एवं जिले का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु विभागों से समन्वय कर कार्य नीति बनायें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

9. सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं हेतु वार्षिक लक्ष्य :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा सदन को सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्रेषित लक्ष्यों से अवगत कराया गया। सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) योजना अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों को संषोधित कर 500 से 200 कर दिया गया है, जिसकी सूचना एस.एल.बी.सी. को प्रेषित कर दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं अंतर्गत एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को प्रेषित एवं संषोधित लक्ष्यों को सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कुछ विभागों का पोर्टल user friendly नही है। अतः विभागों से अनुरोध है कि वे पोर्टल में संषोधन कर उसे user friendly बनायें, जिससे बैंक षाखाओं को ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज करने, नियंत्रकों को अनुवर्ती एवं निगरानी (follow up and monitoring) की कार्यवाही करने तथा एस.एल.बी.सी. को योजना अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति समय–समय पर ज्ञात की जा सके।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग / उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0)

10. प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना :

प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना विषयक चर्चा के दौरान सचिव (प्रभारी), षहरी विकास, उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वष 2021–22 में योजना अंतर्गत लक्ष्य 13000 से बढाकर 26000 कर दिया गया है, जब कि राज्य में कुल 20000 वैन्डर हैं, अतः राज्य को आवंटित लक्ष्य बहुत अधिक है। इस विषयक भारत सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड द्वारा सचिव (प्रभारी), षहरी विकास, उत्तराखंड षासन को निर्देषित किया गया कि वे पुनः इस विषयक भारत सरकार को पत्र प्रेषित करें।

(कार्यवाही : शहरी विकास विभाग)

11. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3866 लाभार्थियों को योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वष 2021–22 हेतु योजना अंतर्गत बैंकों को 3000 इकाईयों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। District Industries Centre (DIC) एवं Khandi and Village Industries Commission (KVIC) से आग्रह किया गया कि वे ऋण की प्रथम किस्त निर्गत होने के उपरांत लाभार्थी को ऑनलाईन / ऑफलाईन Enterpreneur Development Programme (EDP) प्रषिक्षण समय पर करवाने की व्यवस्था करें।

(कार्यवाही : DIC एवं KVIC विभाग)

12. सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं :

वित्तीय वर्ष 2020–21 में सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति विषयक चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा समस्त विभागों से आग्रह किया गया कि वे ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज कर बैंक षाखाओं को प्रेषित करें तथा बैंक षाखायें उनका निस्तारण पोर्टल में दर्ज करें, जिससे कि बैंक नियंत्रक एवं एस.एल.बी.सी., योजना अंतर्गत प्रगति हेतु निगरानी एवं अनुवर्ती (monitoring and follow up) कार्यवाही कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी होते हुये भी बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में दर्ज प्रगति को सदन द्वारा संतोषजनक बताया गया है।

अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), उत्तराखंड षासन द्वारा स्टैण्ड–अप इण्डिया में प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी तथा अवगत कराया कि उक्त योजना अंतर्गत प्रगति एवं निगरानी का कार्य उद्योग विभाग को दिया जा सकता है तथा एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा ऋण आवेदन पत्र source कर बैंक षाखाओं को प्रेषित किय जा सकते हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना में सब्सिडी का प्रावधान न होने के कारण तथा ऋण राषि रु. 10.00 लाख से रु. 1.00 करोड़ होने के कारण स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना अंतर्गत प्रगति कम है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

13. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना :

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी लि0 द्वारा सदन को अवगत कराया कि कुछ बैंक षाखायें किसानों से opt out फार्म प्राप्त कर रही हैं, जिस कारण फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या कम हुयी है। उनके द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि 15 जुलाई, 2021 तक फसल बीमा पोर्टल पर बीमित किसानों के बीमा का विवरण अपलोड करना है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी लि0 से आग्रह किया कि जिन बैंक षाखाओं को डाटा पोर्टल में अपलोड करने में समस्या आ रही है, वे डाटा अपलोडिंग में उन षाखाओं की सहायता करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

14. योजनावार एन.पी.ए. :

लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (आर.सी.) :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंकों में बढ़ते एन.पी.ए. पर चिंता व्यक्त की गयी तथा कोविड महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में एन.पी.ए. बढने की सम्भावना व्यक्त की गयी।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा विभिन्न सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत बढते एन.पी.ए. को कम करने तथा आर. सो. वसूली में षासन से सहयोग की अपेक्षा की गयी है।

(कार्यवाही : राज्स्व विभाग)

15. एम.एस.एम.ई. :
उद्यम रजिस्ट्रेशन :

सचिव (औद्योगिक विकास), उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में कार्यरत 67726 उद्यमियों में से 30,000 उद्यमियों का उद्यम रजिस्ट्रेषन हो गया है तथा अन्य उद्यमियों का भी उद्यम रजिस्ट्रेषन कराया जा रहा है।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खुदरा ओर थोक व्यापार को भी एम.एस.एम.ई. का दर्जा दिया गया है, यह दर्जा मात्र प्राथमिक क्षेत्र में वर्गीकरण के लिए दिया गया है तथा वे उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेषन करा सकते हैं।

16. ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

एम.एस.एम.ई. योजना पर चर्चा के दौरान इन्डस्ट्रीज एसोषियेषन ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कोविड महामारी के कारण एम.एस.एम.ई. इकाईयों की वित्तीय स्थिति ठीक नही है, अतः हम राज्य सरकार से एम.एस.एम.ई. इकाईयों हेतु सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोषियेषन ऑफ उत्तराखण्ड (IAU) को एम.एस.एम.ई. इकाईयों हेतु सहयोग की सूची प्रेषित करने को कहा गया।

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा GECL 1.0, GECL 2.0, GECL 4.0, के बारे में विस्तृत रुप से सदन को अवगत कराया गया तथा अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोषियेषन ऑफ उत्तराखण्ड (IAU) से आग्रह किया कि वे योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु औद्योगिक इकाईयों को योजना से अवगत करायें।

(कार्यवाही : अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोशियेशन ऑफ उत्तराखण्ड (IAU))

17. Restructuring of Accounts :
Resolution Framework 2.0 :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा खातों के Restructuring विषयक जानकारी से सदन को अवगत कराया गया तथा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे योजना का लाभ उधारकर्ताओं यानी व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों एवं एम.एस.एम.ई. इकाईयों तक पहुंचायें। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के Resolution Framework 2.0 के तहत योग्य खातों की Restructuring करके खातों को एन.पी.ए. होने से रोक सकते हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया कि कोविड महामारी के कारण व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुयो है, अतः बैंक व्यवसायियों के खातों की Restructuring हेतु सदैव तत्पर हैं।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

18. शाखाओं के कार्य समय में परिवर्तन :–

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, कोर्पोरेट केन्द्र, मुम्बई द्वारा बैंक के सी.बी.एस. सर्वर का भार कम करने हेतु षाखा के कार्य समय में परिवर्तन हेतु आग्रह किया गया था। इसी अनुक्रम में बागेष्वर एवं चम्पावत जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की षाखाओं के कार्य समय (प्रातः 10.00 बजे स सांय 4.00 बजे के स्थान पर प्रातः 09.00 बजे से सांय 3.00 बजे) में बदलाव हेतु दोनो जिलों के जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

सदन द्वारा उपरोक्तानुसार बागेष्वर एवं चम्पावत जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की षाखाओं के कार्य समय में किये गये परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया गया है।

19. <u>Expanding and Deepening of Digital Payments Eco System (Distt. : Almora)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाये जाने की नितान्त आवष्यकता है, जिसके अभाव में ग्राहक, बैंक द्वारा प्रदत्त Mobile Banking, Internet Banking and Various Bank's App का उपयोग नही कर पा रहे हैं तथा बी.सी. भी नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने के कारण नियमित बैंक सेवायें नही दे पा रहे हैं।

षासन से अनुरोध है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु प्रयास किये जांय, जिससे ग्राहकों को Digital Banking सुविधायें प्रदान करके Digitization को बढ़ावा दिया जा सके।

(कार्यवाही : दूरसंचार विभाग)

बैठक के अंत में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक नेटवर्क–2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास एवं कृषि), प्रमुख सचिव (समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण), सचिव (सहकारिता एवं मत्स्य), सचिव (औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई.), सचिव (पर्यटन), सचिव (वित्त एवं निर्वाचन), उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, एवं राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया गया।

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)